न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (मं0प्र0)

पुनरीक्षण कमांक................../17

1. मोहम्म्द शहीद अंसारी उम्र 45 वर्ष तनय श्री अब्दुल हाजी अजीज अंसारी
2. इम्तियाज अहमद उम्र 32 वर्ष तनय श्री अब्दुल हाजी अजीज अंसारी

दोनों निवासी कटरा तलैया रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

-----**निगरानीकर्ता/आवेदकगण**

बनाम

1. दुर्जन कोल तनय स्व0 मंगल कोल उम्र 73 वर्ष निवासी पुरानी कोल बस्ती पड़रा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 मुख्तार खास रमाशंकर कोल तनय श्री दुर्जन कोल उम्र 30 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी पुरानी कोल बस्ती पड़रा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. मध्यप्रदेश राज्य
3. हाजी अब्दुल अजीज तनय हाजी शेख मुस्लिम निवासी कटरा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

----**गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 04.09.17 जो प्रकरण कमांक-5/स्व निगरानी/2016-17 (दुर्जन कोल बिरुद्ध म0प्र0 राज्य एवं अन्य) मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्यः-

अ. भूमि नम्बर 5, 6, 163 स्थित ग्राम पड़रा तहसील हुजूर जिला रीवा के बिकी अनुमति हेतु अनावेदक कमांक-1 दुर्जन कोल ने आवेदन पत्र कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया था अंतिम आदेश दिनांक 27.10.03 को कलेक्टर ने पारित किया जो धारा 165(6) के अधीन भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / रीवा / भू0राज0 / 2017 / 3286

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-9-2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आयुक्त रीवा संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04-9-17 की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि अनावेदक अनूसूचित जनजाति वर्ग के है तथा पढे लिखे नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदक से कपटपूर्वक विक्रय पत्र संपादित करा लिया जिसकी कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई, साथ ही यह भी उल्लेख नहीं किया कि एफ0डी0 बिना रजिस्ट्री तोडी नहीं जाएगी। उक्त कृत्य से अनुसूचित जनजाति के सदस्य की वेशकीमती भूमि उसके स्वत्व से बाहर हो गई है तथा उसके बदले में उसे मिलने वाली भूमि नहीं मिल पाई है जो संहिता की धारा 165(6) के मंशा के विपरीत है। आवेदक द्वारा बिना रजिस्ट्री कराये ही जमा शुदा एफ0डी0 भी तोड दी गई। इसी कारण आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया तथा अनावेदक दुर्जन कोल की भूमि पूर्ववत उसके स्वत्व में अंकित करने के आदेश दिये हैं। आयुक्त द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) की मंशा के अनुरूप कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	